न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 6/2024

प्रार्थीगण :-

1. रणवीर चौधरी पुत्र गिरधारीराम
2. अशोक चौधरी पुत्र गिरधारीराम
3. श्रीमति केली पत्नी गिरधारीराम जातियान जाट निवासीगण बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. वासुदेव पुत्र कुन्नाराम
2. सुरेश पुत्र कुन्नाराम
3. रणजीत पुत्र कुन्नाराम
4. श्रीमति सरला चौधरी पत्नी कुन्नाराम जातियान जाट निवासीगण बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 1 से 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 5-सरकारी पैरोकार

दिनांकः- 01/10/25

आदेश

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है। यह भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रार्थी संख्या 3 के पति गिरधारीराम तथा कुन्नाराम पुत्र शिवराम, प्रेमसिंह पुत्र शिवराम, लादुराम पुत्र शिवराम, श्रीमति गेरकी पत्नी शिवराम की संयुक्त खातेदारी में थी। प्रार्थी संख्या 1 व 2 कि पिता व प्रार्थी संख्या 3 के पति गिरधारीराम तथा अप्रार्थी कुन्नाराम पुत्र शिवराम ने अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा का बंटवाड़ा करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेमसिंह, लादुराम पिसरान शिवराम, गेरकी पत्नी शिवराम के विरुद्ध बंटवाड़ा का राजस्व वाद संख्या 164/89 का पेश किया गया। जो दावा गिरधारीराम, कुन्नाराम पिसरान शिवराम ने इस आधार का पेश किया गया कि सहखातेदार गिरधारीराम, कुन्नाराम, प्रेमसिंह, लादुराम पिसरान शिवराम, श्रीमति गेरकी पत्नी शिवराम ने आपसी सहमति से खसरा नम्बर 9 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा का बंटवाड़ा कर लिया, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 9 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा (उत्तरी भाग की तरफ), खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा (सड़क के पास उत्तरी तरफ) गिरधारीराम के बंट में तथा खसरा नम्बर 9 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा (दक्षिण की तरफ) खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा (सडक के पास उत्तर की तरफ) कुन्नाराम के बंट में तथा खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा (उत्तर प्रथम सड़क की तरफ) प्रेमसिंह के बंट में तथा खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा (उत्तर तृतीय सड़क की तरफ) लादुराम के बंट एवं कब्जे में आयी हुयी है। इसी बंट एवं कब्जे की भूमि का बंटवाड़ा किया जावे। जिस पर पक्षकारो की आम सहमति से दिनांक 01.09.1989 को दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया एवं तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया कि माफिक निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत कर तरमीम करे। जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने दिनांक 19.09.1989 को नामान्तरकरण संख्या 905, 906 स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

में खसरा नम्बर 09 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 9/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा गिरधारीराम पुत्र शिवराम की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 9/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 9/4 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुन्नाराम पुत्र शिवराम (अप्रार्थीगण) की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 9/5 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा प्रेमसिंह पुत्र शिवराम की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 9/3 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा लादुराम पुत्र शिवराम की खातेदारी में दर्ज कर दिया एवं नामान्तरणकरण संख्या 905, 906 में सभी पक्षकारान की भूमि को अलग अलग तरमीम को दर्शा दिया गया। जिसके सबूत के तौर पर प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 905, 906 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इसी नामान्तरकरण संख्या 905, 906 में दर्शायी गयी तरमीम के अनुसार मौके पर पक्षकार काबिज है, मौके अनुसार का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अभी दिनांक 02.01. 2024 को प्रार्थीगण अपनी कब्जाशुदा, तरमीम शुदा, खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 0.5339 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/2 रकबा 0.3560 हैक्टेयर को औद्योगिक प्रयोजनार्थ में कराने हेतु हल्का पटवारी के पास गये और हल्का पटवारी से नक्शा ट्रेस व जमाबंदी आदि की नकल देने का निवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस की नकल प्रार्थीगण को दी गयी, जिस पर प्रार्थीगण ने नक्शा ट्रेस की नकल को देखा तो प्रार्थीगण को मालूम पड़ा की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 9, 9/2 को नामान्तरकरण संख्या 905 में दर्शायी गयी तरमीम के अनुसार दर्ज नहीं किया गया है, फिर भी प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड अ०नलाईन नक्शा ट्रेस की नकल देने हेतु का निवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण को बताया कि नक्शा ट्रेस में दर्ज तरमीम के आधार पर अ०नलाईन तरमीम दर्ज की गयी है, आप तहसीलदार साहब के पास जाकर तरमीम शुद्धि की कार्यवाही करे, जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब बिलाड़ा के पास जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरुस्त करने हेतु का आग्रह किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने प्रार्थीगण को बताया कि बीना दस्तावेजो की जांच किये नक्शा ट्रेस व अ०नलाईन नक्शा में आपकी तरमीम को त्रुटीवश भिन्न स्थान पर दर्शा दी गयी है, आप सक्षम न्यायालय से तरमीम दुरुस्ती का आदेश लेकर आ जाओ, आपकी भूमि की तरमीम नक्शा ट्रेस व अ०नलाईन नक्शे में पुनः सही दर्ज कर दी जायेगी। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 0. 5339 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/2 रकबा 0.3560 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 9/4 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का नक्शा ट्रेस में नामान्तरकरण संख्या 905 में दर्शायी गयी तरमीम से भिन्न स्थान पर की गयी तरमीम को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न हो सकता है। इस कारण तरमीम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 0.5339 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/2 रकबा 0.3560 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण को नोटिस अथवा सूचना दिये बीना ही उसकी नामान्तरकरण संख्या 905 में दर्शायी गयी तरमीम से अलग भिन्न स्थान पर तरमीम दर्शा दी गयी है। मौजूदा मामले में न तो राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने या किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश है। अतः हल्का पटवारी को बीना कोई निर्णय या आदेश के ही अनाधिकृत तौर से कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण संख्या 905 तथा न्यायालय निर्णय दिनांक 01.09.1989 का कोई अवलोकन अथवा जांच नहीं कर नक्शा ट्रेस व अ०नलाईन नक्शा में गलत स्थान पर तरमीम को दर्शा दिया है, इस आधार पर की गई नक्शा ट्रेस व अ०नलाईन नक्शा में तरमीम को नक्शा ट्रेस में पुनः संशोधित तरमीम करने का अधिकार माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत का है। खसरा नम्बर 9/5, 9/3 की खातेदारी प्रेमसिंह व लादुराम की तरमीम प्रभावित नहीं होने के कारण उनको पक्षकार के रुप में संयोजित नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 0.5339 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/2 रकबा 0.3560 हैक्टेसर तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 9/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा की नक्शा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में दर्ज गलत तरमीम को निरस्त करने का आदेश फरमावे तथा ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 9, 9/2, 9/1 की पुनः तरमीम नामान्तरकरण संख्या 905 में दर्ज तरमीम के अनुसार पुनः नक्शा ट्रेस व अ०नलाईन नक्शा में तरमीम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 4 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 1 से 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अप्रार्थी सं. 5 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 152 खसरा नंबर 9 रकबा 0.5339 हैक्टयर, खसरा नंबर 9/2 रकबा 0.3560 हैक्टयर, खाता सं. 752 में अशोक चौधरी, रणवीर चौधरी पि. गिरधारीराम, केली पत्नी गिरधारीराम के नाम दर्ज है। खसरा नंबर 9/1 रकबा 0.5339 हैक्टयर, खसरा नंबर 9/4 रकबा 0.3560 हैक्टयर खातेदार सुरेश चौधरी, रणजीत सारण, वासुदेव सारण पुत्र कुनाराम सरलादेवी पत्नी कुनाराम जाति जाट दर्ज है। खसरा नंबर 9/3 रकबा 0.3479 हैक्टयर में खातेदार महेश पुत्र मोहनसिंह, विरेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह, गीतादेवी पत्नी मोहनसिंह, रिंकू सरोज पुत्र मोहनसिंह, बाबूलाल पुत्र लादूराम, दुर्गादेवी पत्नी लादूराम, विमला पुत्री लादूराम जाति जाट दर्ज है। खसरा नंबर 9/5 रकबा 0.3475 हैक्टयर खातेदार डूंगरराम-रामकिशन पुत्र प्रेमसिंह, भंवरीदेवी पत्नी प्रेमसिंह, शोभादेवी ओमादेवी सीतादेवी पुत्री प्रेमसिंह जाति जाट दर्ज है। डीआईएलआरएमपी प्रोग्राम के तहत ऑनलाईन तरमीम करते समय लटठा ट्रेस अनुसार तरमीम कर दी गई, जो सही नहीं है। विभाजन के समय जो नजरी नक्शा बताया गया है, उस अनुसार ऑनलाइन तरमीम नहीं की गई है। नामा. सं. 905 व 906 जरिये विभाजन खातेदारान गिरधारीराम, कुनाराम, लादूराम, प्रेमसिह पुत्र शिवराम, गेरकी पत्नी शिवराम जाति जाट निवासी बरना का हुआ था। जिसमें खसरा नंबर 9 रकबा 15-06 बीघा का भी विभाजन हुआ था जिसमें उक्त नामा. की पुस्त पर दर्ज नजरी नक्शा अनुसार ऑनलाईन तरमीम दर्ज नहीं हुई। उक्त नजरी नक्शे अनुसार ही नामा. सं. 905 व 906 के जरिये प्रविष्टि जिसमें खसरा नंबर 9 व 9/2 खातेदार गिरधारीराम पुत्र शिवराम कौम जाट, खसरा नंबर 9/1 व 9/4 कुनाराम पुत्र

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

शिवराम कौम जाट तथा 9/3 लादूराम पुत्र शिवराम कौम जाट के पक्ष में दर्ज किया गया। नामा.सं. 905 व 906 की प्रतिलिपि संलग्न है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नंबर 9 रकबा 0.5339, खसरा नंबर 9/2 रकबा 0.3560 हैक्टयर व अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी खसरा नंबर 9/1 रकबा 0.5339 हैक्टयर की नक्शा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में दर्ज गलत तरमीम को निरस्त किया जाकर, पुनः नामा.सं. 905 में दर्ज नजरी नक्शे अनुसार ट्रेस नक्शा व ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरूस्ती किये जाने में भूमिधारी सहमत है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम बरना के खसरा नंबर 9 व 9/2 प्रार्थीगण की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है। तहसीलदार बिलाडा की रिपोर्ट की अनुसार खसरा नंबर 9 का विभाजन हुआ तक नामा. की पुस्त की अनुसार तरमीम नहीं की गई लेकिन डीआईएलआरएमपी के तहत ऑनलाईन तरमीम करते समय लट्ठा ट्रेस अनुसार तरमीम कर दी गई है जो कि सही नहीं है। ऑनलाईन नक्शे में उक्त खसरान की गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है। तहसीलदार बिलाडा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 9, खसरा नंबर 9/1 व खसरा नंबर 9/2 की तरमीम नामा. सं0 905 की पुस्त के अनुसार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम बरना तहसील बिलाडा के खसरा सं. 9, खसरा नंबर 9/1 व खसरा नंबर 9/2 की तरमीम नामा. सं. 905 की पुस्त में वर्णितानुसार दुरूस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। तहसीलदार बिलाडा के साथ संलग्न नामा. सं. 905 की पुस्त को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/10/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा